175

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालीयर म.प्र.

R. 2487-I/14

1 मनोहरलाल पिता भॅवरलाल जाति–ब्राम्हण

2 गोरी शंकर पिता बापुलाल जाति–ब्राम्हण

निवासीगण–ग्राम मामटखेडा तह पिपलौदा जि. रतलाम

.....................**प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता**

बनाम

रामकिशन पिता भुवान जाति–तेली

निवासी–ग्राम बोरदा तह. जावरा जि. रतलाम

................**प्रतिप्रार्थी / प्रत्यर्थी**

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959

निगरानी ब नाराजगी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय जावरा के राजस्व प्रकरण कं. 2अ13 / 2012–13 में पत्रावली दिनांक (आदेश दिनांक) 24 / 06 / 2014 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता की और से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है।

–: निगरानी के तथ्य :–

1 यह है कि ग्राम बोरदा स्थित कृषि भुमि सर्वे कं. 71 पर जाने आने हेतु अनैतिक मार्ग की अपेक्षा के लिये प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन तथ्यहीन आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया एंव नवीन रास्ते की मांग की जिस पर निगरानीकर्ता ने आपत्ती प्रस्तुत की क्योंकी प्रतिपार्थी निगरानीकर्ता के खेत के मध्य में से नवीन रास्ता मांग रहा है।

2 यह है कि सर्वे कं. 71 पर जाने आने का रास्ता कभी भी निगरानीकर्ता / प्रार्थीगण की कृषि भुमि के पास से नही जाता आता है, प्रतिप्रार्थी व उसके पूर्व उक्त कृषि भुमि के भुमि स्वामी सर्वे कं. 71 की कृषि भुमि पर सर्वे कं. 72 / 1 की भुमि के पूर्व दिशा में होकर कृषि भुमि पर जाया करते थै परन्तु प्रतिप्रार्थी जान बुझकर निगरानीकर्ता की कृषि भुमि 69 / 4 व 69 / 3 की भुमि में नवीन रासता कायम करवाना चाहता है।

3 यह है कि प्रार्थी ग्राम मामटखेडा में निवास करते है और वंही से अपनी कृषि भुमि पर आते जाते व कृषि कार्य करते है तथा सिधे सादे सामाजीक प्राणि है परन्तु प्रत्यथी प्रार्थीगण से

XXIX(a)-BR(H)-11

175

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2487-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	